कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक – ए0ई0–2/03/नि0वि0–1/वर्ग–2/2022–23/332/खण्ड–1/1153 दिनांक : 19 .01.2024

कार्यालय आदेश

खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार के अवकाश अथवा अन्य कारणों से खण्ड में अनुपस्थिति रहने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड का कार्यभार अन्य खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार को सौंपे जाने की व्यवस्था को सुगम करने के लिए इस कार्यालय द्वारा द्विस्तरीय कार्यभार (Two tier Link Charge) व्यवस्था का कार्यालय आदेश समय–समय पर निर्गत किया जाता है।

किन्तु, प्रायः ऐसे मामले संज्ञान में आते रहते हैं जब खण्डीय अधिकारी द्वारा द्विस्तरीय कार्यभार व्यवस्था के कार्यालय आदेश से इतर खण्ड के लिपिक अथवा सहायक को खण्ड का लेखा सम्बन्धी कार्य करने का आदेश निर्गत कर दिया जाता है। खण्डीय अधिकारी का यह कृत्य वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के साथ–साथ इस कार्यालय के नियन्त्रक अधिकारी के प्राधिकार का अतिक्रमण भी है।

अतः खण्डीय अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप ही खण्ड के लेखा सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन हेतु खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार को निर्देशित करेंगे।

कभी कभी ऐसे मामले भी संज्ञान में आते हैं जब खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार द्विस्तरीय कार्यभार व्यवस्था के अन्तर्गत खण्ड के लेखा सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन में अनिच्छा व्यक्त करते हैं जिससे जानबूझकर नियन्त्रक अधिकारी के आदेशों की अवज्ञा होती है। खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार का यह कृत्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की ओर आकृष्ट करता है।

पूर्व में निर्गत द्विस्तरीय कार्यभार व्यवस्था के कार्यालय आदेश संख्या –ए0ई0–2/03/नि0वि0–1/वर्ग–2/2022–23/332/खण्ड–1/880 दिनांक 20.07.2022 को अधिक्रमित करते हुए पुनः कार्यालय आदेश संख्या– ए0ई0–2/03/नि0वि0–1/वर्ग–2/2022–23 /332/खण्ड–1/1081 दिनांक 28.08.2023 निर्गत कर दिया गया है।

संवर्ग के सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्यालय आदेश का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में इसे नियंत्रक अधिकारी के आदेशों की अवज्ञा माना जाएगा तथा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0

पत्रांक – ए0ई0–2/03/नि0वि0–1/वर्ग–2/2022–23/332/खण्ड–1/1950-1953 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त कार्यालय आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार को कार्यालय के वेबसाइट के माध्यम से।
4. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता को कार्यालय के वेबसाइट के माध्यम से।

18/01/24

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि0–1